<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 116 / 2015

संस्थापन दिनांक 20.03.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—बंटी बाथम पुत्र प्रभू बाथम उम्र 21 साल 2—छोटे उर्फ रामू बाथम पुत्र प्रभू बाथम उम्र 18 साल निवासीगण व्यास मोहल्ला मौ थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0......**फरार**

– अभियुक्तगण

(आज दिनांक

निर्णय

...को घोषित)

- प्रकरण में आरोपी छोटेलाल उर्फ रामू के फरार होने से यह निर्णय मात्र आरोपी बंटी के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 2. उपरोक्त अभियुक्त बंटी के विरुद्ध धारा 294, 324/34, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.01.15 को 19:00 बजे व्यास मोहल्ला में फरियादी गिरजा अ0सा01 के घर के सामने थाना मौ जिला भिण्ड पर गिरजा अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में गिरजा अ0सा01 को पोंहचे से हाथ में काटकर स्वेच्छा उपहित कारित की तथा गिरजा अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
 - अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.15 को फरियादी गिरजा अ0सा01 अपने घर के दरवाजे के सामने आग ताप रही थी उसके घर के बगल में आरोपी बंटी का भी घर है आरोपी बंटी व छोटे शराब पीकर गालियां दे रहे थे। गिरजा अ0सा01 ने मना किया तो आरोपीगण ने कहा कि वह अपने घर में गालियां दे रहे हैं आरोपी छोटे ने गिरजा के दाहिने गाल पर मुक्का मारा बंटी ने बांये हाथ के पोंहचे में काट लिया छोटेलाल ने पीठ में मुक्का मारा और अश्लील गालियां दीं जो सुनने में बुरी लगीं। रेखा अ0सा02 व मानसिंह अ0सा03 ने घटना देखी व बीच बचाव किया। आरोपी बंटी ने जान से मारने की धमकी दी रात्रि होने से घटना के अगले दिन गिरजा ने रिपोर्ट लिखवाई। तत्पश्चात फरियादी गिरिजा बाथम अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना मौ में अप0क0

09/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतू न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

4. आरोपी ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 17.01.15 को 19:00 बजे व्यास मोहल्ला में फरियादी गिरजा अ0सा01 के घर के सामने थाना मौ जिला भिण्ड पर गिरजा अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में गिरजा अ०सा०1 को पोंहचे से हाथ में काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर गिरजा अ०सा०१ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ लगायत ०३ का सकारण निष्कर्ष / /

- 6. गिरजा ने कथन किया है कि दिनांक 22.01.16 से एक वर्ष पूर्व शाम 8—9 बजे सर्दियों के समय की घटना है आरोपी बंटी और छोटे शराब पीकर मां—बहन की गालियां दे रहे थे। उसने मना किया तो वह घर के अंदर घुस आये छोटे ने दाहिने गाल में मुक्का मारा जो दाहिनी आंख व गाल पर लगा। बंटी ने उसे पीठ में लाठी मारी और हाथ में काट लिया उसकी बेटी रेखा अ0सा02 ने बीच बचाव किया तो उसे धकेल दिया उसके पित फूलिसंह को सांस की तकलीफ होने से उन्होंने बीच बचाव नहीं किया उसके बाद उसने थाने पर रिपार्ट प्र0पी—1 की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि बंटी ने उसे बांये हाथ के पोंहचे में काट लिया था और छोटे ने उसे पीठ में मुक्का मारा और यह भी स्वीकार किया है कि बंटी ने कहा था कि आज तो बच गयी आइन्दा जान से खत्म कर देगा।
- 7. रेखा अ०सा०२ ने मुख्यपरीक्षण में गिरजा के कथन का समर्थन किया है कि घर के अंदर घुसकर छोटे ने घटना में उसकी मां को मुक्के से सीधी आंख व गाल में मारा और बीच बचाव करने पर बंटी ने उसे लात मारी उसका भाई कार्यालय गया हुआ था जिसे भी आरोपी छोटे ने मारा था उसके बाद वह और गिरजा रिपोर्ट करने गयी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि वह घर के बाहर अपनी मां के साथ ताप रही थी स्वतः कहा कि वह घर के अंदर थी और इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने अश्लील गालियां दी थीं और बंटी ने गिरजा के हाथ के पोंहचे में काट लिया था और छोटे ने पीठ में मुक्का मारा और दोनों आरोपीगण ने कहा कि आज तो बच गयी आइन्दा जान से खतम कर देंगें लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि मानसिंह अ०सा०३ ने मौके पर बीच बचाव किया था।

8. मानसिंह अ०सा०३ ने कथन किया है कि उसकी मां ने उसे फोन करके बुलाया था उसके आने पर उसकी मां ने घटना की जानकारी दी थी कि आरोपीगण गाली गलौच कर रहे हैं और उसकी मां गिरजा की मारपीट की है जिससे उसके आंख में चोट आई है। जब वह स्वयं मां की बात सुनकर दस बजे घर लौटा तब उसे पता न होने पर भी आरोपीगण ने उसकी मारपीट की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि घटना के समय वह अकेला था और यह भी ज्ञात होने से इंकार किया है कि बंटी ने उसकी मां को बांये हाथ में काटा था और जान से मारने की धमकी दी थी।

9. साक्षी डॉ० आर०विमलेश अ०सा०४ ने कथन किया है कि वह दिनांक 18.01.15 को सी.एच.सी. मी में मेडील ऑफीसर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को नगर रक्षा समिति के सैनिक अकबर द्वारा लाये जाने पर गिरजा का परीक्षण किया था जिसमें चोट कमांक 1 सूजन 2.6गुणा1.6 से.मी. दाहिनी तरफ जबड़े में पाई थी आहता पीठ में दर्द की शिकायत बता रही थी तथा चोट नं02 बहुत सारी खरोंच के निशान जिनकी संख्या 6 थी। उन खरोंचों का आकार 2.6से.मी.गुणा2.4 से.मी. क्षेत्रफल में थे जिनका आकार 1.2से.मी.गुणा1 / 4से.मी. से 1.1से.मी.गुणा 1.4 से.मी. का था। यह खरोंचे बांये हाथ के पृष्ठ भाग पर थी जो परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की होकर साधारण प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी—6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

0. गिरजा अंग्सार्ग ने मुख्यपरीक्षण में स्वयं के समक्ष नक्शामौका प्र0पी—3 बनाये जाने से इंकार किया है और पैरा 3 व 4 में इंकार किया है कि झगड़ा घर से बाहर हुआ था और बताया है कि झगड़ा घर के अंदर हुआ था और उसकी मारपीट भी घर के अंदर आंगन में ही हुई थी और फिर बाहर जाकर मारा था। रेखा अंग्सांग्य ने भी आरोपीगण द्वारा घर के अंदर घुसकर ही मारपीट करना बताया है और पैरा 3 में घर के बाहर आरोपीगण द्वारा मारपीट किए जाने से इंकार किया है। अतः न्यायालयीन साक्ष्य में एफ.आई.आर. प्र0पी—1 और नक्शामौका प्र0पी—3 से भिन्न घटनास्थल बताया है और गृहअतिचार के अपराध के तथ्य बताकर अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य उक्त दोनों साक्षीगण ने घटनास्थल के संबंध में दी है।

11. गिरजा ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपी ने उसके हाथ में काट लिया था और सुझाव स्वरूप स्वीकार किया है कि बंटी ने उसे बांये हाथ के पोंहचे में काटा था। लेकिन प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया है कि दाहिने हाथ के अंगूठे में काटा था और पोंहचा और अंगूठा अलग—अलग होना स्वीकार किया है। अतः गिरजा ने मुख्यपरीक्षण में केवल हाथ में काटा जाना बताया है लेकिन अभियोजन के सुझाव में बांये हाथ के पोंहचे में काटना बताया है फिर प्रतिपरीक्षण में दांये हाथ के अंगूठे में काटना बताया है और पोंहचा और अंगूठा भी अलग—अलग होना बताया है। अतः मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण में ही गिरजा के कथन में अंतर है। रेखा अ०सा०२ ने इसके विपरीत प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि आरोपी छोटे ने उसकी मां को काटा था अतः जबिक गिरजा बंटी द्वारा काटना बता रही है लेकिन रेखा अ०सा०२ छोटे द्वारा काटना बताती है और मानसिंह अ०सा०३ ने मुख्यपरीक्षण में ही उसकी मां को बंटी द्वारा काटे होने की जानकारी होने से इंकार किया है अतः रेखा अ०सा०२ व मानसिंह अ०सा०३ ने गिरजा की

संतान होते हुए भी गिरजा के कथन का समर्थन न कर विरोधाभासी साक्ष्य दी है और इस संबंध में साक्षी डाँ० आर0विमलेश अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि चोटें दांतों से काटकर आना संभव नहीं है। अतः फरियादी द्वारा दी गयी साक्ष्य का खण्डन ही चिकित्सक द्वारा किया गया है और आहत द्वारा जिस माध्यम से स्वयं को चोट पहुंचाया जाना बताया है उस माध्यम से चिकित्सक ने चोट आने की संभावना से इंकार किया है। जो आहत साक्षी गिरिजा अ0सा01 के मौखिक कथन को उपहति के संबंध में संदेहास्पद बनाता है।

- 12. रेखा अ०सा०२ ने मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया है कि वह बचाने आई तो आरोपीगण ने उसे लात मारी जबकि ऐसा तथ्य गिरिजा अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण में नहीं बताया है और केवल धकेलना बताया है। अतः रेखा अ०सा०२ जोकि मात्र चक्षुदर्शी साक्षी उल्लिखित है, ने न्यायालयीन साक्ष्य में स्वयं को भी चोट पहुंचाया जाना बताया है जोकि स्वयं गिरिजा अ०सा०१ ने भी नहीं बताया है।
- 13. गिरिजा अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण में इंकार किया है कि रात होने के कारण उसने रिपोर्ट घटना वाले दिन न लिखाकर दूसरे दिन लिखाई थी जबकि एफआईआर प्र०पी—1 में विलम्ब का कारण रात होने के कारण ही उल्लिखित है और घटना के लगभग 14 घण्टे बाद घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर स्थित थाने पर रिपोर्ट लिखवाई गयी है। जबिक फरियादी ने रिपोर्ट प्र०पी—1 में उल्लिखित विलम्ब के कारण से इंकार किया है। मानसिह अ०सा०३ ने पैरा 4 में और रेखा अ०सा०२ ने भी पैरा 4 में स्वीकार किया है कि मानसिंह अ०सा०३ के आने के बाद भी वह रिपोर्ट करने नहीं गये थे अतः जबिक घटना शाम 7 बजे की है तब भी एक किलोमीटर दूर स्थित थाने पर फरियादी द्वारा पुरूष सदस्य की होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गयी है। अतः अस्पष्ट विलम्ब के कारण एफआईआर प्र०पी—1 विश्वसनीय प्रमाणित नहीं होती है।
- 14. गिरिजा अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण में इंकार किया है कि मानसिंह अ०सा०३ ने घटना में बीचबचाव किया था। उक्त तथ्य उलिलखित होने पर भी रिपोर्ट प्र०पी—1 व कथन प्र०पी—3 में वह कारण बताने में असमर्थ रही है स्वयं मानसिंह अ०सा०३ ने घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति से इंकार किया है। पुलिस कथन प्र०पी—5 में भी उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति का तथ्य उल्लिखित होने का वह कारण नहीं बता सका है। अतः जबिक फरियादी और मानसिंह अ०सा०३ द्वारा विवेचना में दिए कथन में और एफआईआर प्र०पी—1 में घटना के समय मानसिंह अ०सा०३ की जो उपस्थिति बतायी गयी है लेकिन न्यायालयीन साक्ष्य में उक्त दोनों ही साक्षीगण और साक्षी रेखा अ०सा०२ ने मुख्यपरीक्षण में मानसिंह अ०सा०३ की उपस्थिति से इंकार किया है। अतः विवेचना के चरण में दिए गए पुलिस कथन प्र०पी—2, 4 व 5 भी सत्य दिया जाना प्रतीत नहीं होते हैं और उक्त कथन से न्यायालयीन साक्ष्य में भी पर्याप्त विरोधाभास है जिसका कारण उक्त तीनों ही साक्षीगण नहीं बता सके हैं।
- 15. रेखा अ०सा०२ ने पैरा 3 में स्वीकार किया है कि घटना के दिन अंधेरी रात थी लेकिन गिरिजा अ०सा०१ ने पैरा 3 में बताया है कि घटना दिनांक को अंधेरी रात न होकर उजियारी रात थी। दोनों ही साक्षीगण ने मुख्यपरीक्षण में कोई घटना दिनांक को स्पष्ट नहीं की है और वर्ष 2015 के सर्दियों के माह की घटना बतायी है। अतः जबकि घटना दिनांक ही उक्त दोनों साक्षीगण स्पष्ट करने में

5

असमर्थ रहे हैं तब घटना दिनांक की स्थिति के संबंध में उक्त दोनों साक्षीगण ने परस्पर अलग—अलग तथ्य बताये हैं जिससे अस्पष्ट रूप से भी घटना दिनांक स्पष्ट नहीं होती है।

- 16. गिरिजा अ०सा०१ ने पैरा 5 में इंकार किया है कि उसका पित सट्टे का कार्य करता है इस कारण उसका विरोध करने पर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखवाई गयी है इस तथ्य से मानिसंह अ०सा०३ ने पैरा 3 में ही इंकार किया है लेकिन रेखा अ०सा०२ ने पैरा 4 में स्वीकार किया है कि पूरा मोहल्ला उनके खिलाफ है लेकिन खिलाफ होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है और रेखा अ०सा०२ ने इंकार किया है कि उसका पिता सट्टे का धंधा करता है। अतः जबिक पूरा मोहल्ला फिरयादी के पित के खिलाफ है और किस कारण विरोधी है इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं बताया गया है तब बचाव पक्ष की इस प्रतिरक्षा को बल प्राप्त होता है कि फिरयादी का पित भी अवैधानिक कृत्य करता है और विरोध करने पर आरोपीगण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।
- अतः घटना की आहत गिरिजा अ०सा०१ के अलावा एक मात्र प्रत्यक्ष ्साक्षी रेखा अ0सा02 ही होना अभियोजन मामले से प्रमाणित हुई है। गिरिजा अ०सा०1 और रेखा अ०सा०2 के कथन में ही घटना के समय किस आरोपी द्वारा गिरिजा अ0सा01 को काटने की चोट पहुंचाई गयी इस संबंध में विरोधाभास है। ीमानसिंह अ0सा03 जो अभियोजन मामले में प्रत्यक्ष साक्षी उलिलखित है के संबंध में न्यायालयीन साक्ष्य में रेखा अ०सा०२, गिरिजा अ०सा०१ और स्वयं मानसिंह अ०सा०३ ने प्रत्यक्ष साक्षी होने से इंकार किया है। एफआईआर प्र0पी–1 में एक दिवस के विलम्ब से ही गिरिजा अ०सा०१ ने इंकार कर उसे संदेहास्पद बनाया है उपहति के संबंध में गिरिजा अ०सा०1 द्वारा दी गयी मौखिक साक्ष्य का खण्डन चिकित्सक डॉ० आर0विमलेश अ0सा04 के कथन से होता है और उपहति के संबंध में गिरिजा अ०सा०१ ने ही मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बदल-बदलकर कथन किए हैं। ध ाटनास्थल भी न्यायालयीन साक्ष्य में एफ.आई.आर. प्र0पी–1 और नक्शामीका प्र0पी-3 से भिन्न घर के अंदर की होना बतायी गयी है और आपराधिक अतिचार के संबंध में अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य दी गयी है। रेखा अ०सा०२ व मानसिंह अ०सा०३ ने भी असंपृष्ट स्वयं को उपहति के संबंध में अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य दी है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से आहत व उसकी संतान रेखा अ०सा०२ व मानसिंह अ०सा०३ के कथन विश्वसनीय व निर्भर रहने योग्य प्रमाणित नहीं होते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उन पर निर्भर रहकर आरोपीगण के आक्षेपित कृत्य प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं।
- 18. अतः संपूर्ण विवेचना से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है और यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होता है कि आरोपी बंटी ने के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.01.15 को 19:00 बजे व्यास मोहल्ला में फरियादी गिरजा अ0सा01 के घर के सामने थाना मौ जिला भिण्ड पर गिरजा अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में गिरजा अ0सा01 को पोंहचे से हाथ में काटकर खेच्छा उपहित कारित की तथा गिरजा अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 19. परिणामतः आरोपी बंटी को धारा 294, 324 / 34, 506 भाग दो भा.द.स.

6

दोषमुक्त घोषित किया जाता है। 20. आरोपी बंटी के जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

ALIMAN PARION PA